

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचना ए निम्नवत है:-

क्रमांक	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचना	संगठन स्तर से सम्बन्धित उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्यः	<p>इंग्रजी में किये गये आधिक अपराधों तथा विभिन्न योजनाओं में आधिक अनियन्त्रिताओं एवं दुर्विनियोग से सम्बन्धित प्रकरणों, गेर वैकिंग वित्तीय कम्पनियों/प्राइवेट व्यवित्रियों द्वारा किए जा रहे अपराधों, जिनमें राजस्व क्षति निहित हो तथा वैदिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित मामलों में की गई धोखाधड़ी की जाँच/विवेचना की जाती है।</p> <p>इसके अतिरिक्त इस संगठन द्वारा आधिक अपराध से सम्बन्धित अभिसूचना संकलन का कार्य भी शासनादेश दिनांक:18.09.1972 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जाती है।</p>
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिवितयों और कर्तव्यः	<p>शासनादेश संख्या: 0482/25-8-2015-39(11)/70, दिनांक:23.06.2015 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्लेशन व पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त कर्तव्य/ शिवितयों।</p>
3	विनियोग करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं:	<p>इस संगठन द्वारा शासन के गृह विभाग द्वारा संदर्भित जाँच/विवेचना का कार्य किया जाता है। संगठन द्वारा कोई जाँच/विवेचना नहीं है। शासन से प्राप्त प्रकरणों की जाँच/विवेचना इस संगठन के अन्तर्गत कार्यरत 06 सेवकों द्वारा की जाती है। निरीक्षक/विवेचक का पर्यवेक्षण सेवकर स्तर पर नियुक्त सेक्टर प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया जाता है। जाँच विवेचना पूर्ण होने पर आख्या संगठन के मुख्यालय पर प्रेषित की जाती है, इन आख्याओं का मूल्यांकन मुख्यालय में नियुक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा एवं संगठन में नियुक्त जेठी/एस०पी०आ० द्वारा किया जाता है। तत्परतात पुलिस महानिदेशक, ई०आ००डब्ल० द्वारा जाँच/विवेचना आख्या अनुगोदित की जाती है। पुलिस महानिदेशक, ई०आ००डब्ल० के अनुमोदन के उपरान्त आख्या शासन के गृह विभाग को स्वीकृत हेतु प्रेषित की जाती है। शासन से आख्या रखीकृत होने के उपरान्त तदनुसार अग्रिम कार्यवाही पुनर्नियन्त्रित की जाती है।</p>

<p>4 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा इस संगठन द्वारा जाँच / विवेचना पूर्ण पारदर्शितः बरतते हुए की जाती है, प्रत्येक स्तर पे संगठन में नियुक्त विधिक अभियोजन अधिकारियों द्वारा विवेचक के उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों को समीक्षा की जाती है। स्पष्ट एवं प्रयोग्य साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्कृति की जाती है।</p>	<p>5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;</p>	<p>6 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;</p>	<p>इस संगठन द्वारा मुख्य रूप से जाँच / विवेचना के मध्य संकलित किये गये अभिलेखयीय साक्ष्य आरोपियों एवं सम्बन्धित किभाग से प्राप्त किया जाता है। इन अभिलेखों में जाँच किये जा रहे विभागों के अन्तरिक किया-कलापों का विवरण रहता है, जिसका सीधा सम्बन्ध विवेचना से होता है तथा एकत्र किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में मार्ग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करना होता अतः उनका सार्वजनिक किया जाना समीचीन नहीं है।</p>	<p>7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियों, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;</p>	<p>इस संगठन स्तर पर नीति की संरचना या कार्यान्वयन हेतु जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अथवा अभ्यावेदन के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। शासन के गृह विभाग द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही इस संगठन द्वारा की जाती है।</p>
<p>8 ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;</p>					

9 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;	<p>आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन में नियुक्त अधिकारी गण के पदनाम व मोबाइल नम्बर</p> <table border="1" data-bbox="350 339 731 1282"> <tbody> <tr><td>पुलिस महानिदेशक,</td><td>9454400107</td></tr> <tr><td>अपर पुलिस महानिदेशक</td><td>9454400128</td></tr> <tr><td>पुलिस महानिरीक्षक</td><td>9454400323</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (अधिकान / लखनऊ सेक्टर)</td><td>9454401151</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर)</td><td>9454401150</td></tr> <tr><td>अपर पुलिस अधीक्षक (कोष / जनसूचना अधिकारी)</td><td>9454402518</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)</td><td>9454402515</td></tr> <tr><td>पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)</td><td>9454405228</td></tr> <tr><td>अपर पुलिस अधीक्षक (मिरठ सेक्टर)</td><td>9454401677</td></tr> </tbody> </table>	पुलिस महानिदेशक,	9454400107	अपर पुलिस महानिदेशक	9454400128	पुलिस महानिरीक्षक	9454400323	पुलिस अधीक्षक (अधिकान / लखनऊ सेक्टर)	9454401151	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर)	9454401150	अपर पुलिस अधीक्षक (कोष / जनसूचना अधिकारी)	9454402518	पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)	9454402515	पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)	9454405228	अपर पुलिस अधीक्षक (मिरठ सेक्टर)	9454401677
पुलिस महानिदेशक,	9454400107																		
अपर पुलिस महानिदेशक	9454400128																		
पुलिस महानिरीक्षक	9454400323																		
पुलिस अधीक्षक (अधिकान / लखनऊ सेक्टर)	9454401151																		
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय सेक्टर)	9454401150																		
अपर पुलिस अधीक्षक (कोष / जनसूचना अधिकारी)	9454402518																		
पुलिस अधीक्षक (कानपुर सेक्टर)	9454402515																		
पुलिस अधीक्षक (वाराणसी सेक्टर)	9454405228																		
अपर पुलिस अधीक्षक (मिरठ सेक्टर)	9454401677																		
10 अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उत्तरप्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में पद / सेवा के अनुसार प्रदान किया जाता है।	<p>अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उत्तरप्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में पद / सेवा के अनुसार प्रदान किया जाता है।</p>																		
11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टिंया, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अधिकरण को आवंटित हजार;	<p>इस संगठन को बजट पुलिस मुख्यालय के माध्यम से निम्नलिखित शिर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होता है, उनके उपरोग एवं व्यय की समीक्षा पुलिस मुख्यालय और महालेखाकार कार्यालय की टीम द्वारा की जाती है।</p>																		
12 सहायिकी कार्यकर्ताओं के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकर्ताओं के फायदाघाती हैं;	<p>“2055-पुलिस आयोजनेत्तर-101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 04 अनुसंधान अनुभाग-0402 अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान”</p> <p style="text-align: right;">शून्य</p>																		

		शून्य
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ;	
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;	शून्य
15	सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वर्चन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटना सम्मिलित है;	शून्य
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	<p>पुलिस उपमहानिरीक्षक / अपीलीय अधिकारी (जनसूचना), आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, ००५०, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर।</p>
		<u>सेक्टर वाराणसी</u>
		<p>श्री जी०प्रदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक(अप) / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, ००५०, १०७ सिद्धगिरि बाग, जिला-वाराणसी २२१०१०।</p>
		<u>मुख्यालय लखनऊ</u>
		<p>श्री हर्षीबुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक(अप) / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, ००५०, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, तृतीय दावर, चतुर्थ तल, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-२२६००२।</p>
		<u>सेक्टर मेरठ</u>
		<p>पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, ००५०, यातायात पुलिस लाइन कैम्पस, थाना-रेल बाजार, जिला-कानपुर नगर।</p>